न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 61/2019 तारीख रजू 26.12.2019

गिर्राज पुत्र श्रीकिशन जाति गुर्जर निवासी खण्डेवला तह.खण्डार । ——— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार । ———— रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 10/5/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 120/2019 मे पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम खण्डेवला के आराजी खसरा नम्बर 460/08 रकबा 2.00 बीघा किस्म गैर चरागाह पर संवत 2076 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अपीलान्ट को वाके ग्राम खण्डेवला के आराजी खसरा नम्बर 460/08 पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये 3 माह का सिविल कारावास एवं पैनल्टी तथा बेदखली से दण्डित किया है उक्त निर्णय रूह दर मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों से परे होने के कारण निरस्तनीय है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एक मात्र हल्का पटवारी कि मिथ्या रिपोर्ट पर पारित किया है, अपीलान्ट को पटवारी से जिरह का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि के पास प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि है पृथक से कोई अतिक्रमण नहीं किया है। यह है कि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को नोटिस वास्ते जवाब दिया गया था उसी के आधार पर बिना मौका

अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 14:05:31 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा जॉच किये यह कार्यवाही सम्पादित की है तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में पारित प्रोसेडिंग भी सलंग्न नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह भी निवेदन किया है कि पाश्चतवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता । अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्ट के भाई को नोटिस तामील करायी गयी अपीलान्ट बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 01.10.2019 को उपस्थित हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नही दिया गया है मान्य नही है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से मै सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 में बेदखली,शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है तथा सजा माफ की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10/5/2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 14:05:31 IST
Reason: SelfAttested